

By Online Submission

Sec/24-25/106  
Date: 08-03-2025

To,  
The General Manager,  
**BSE Ltd.**  
1st Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building, P.J. Tower,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai- 400 001  
BSE Code: 524370

To,  
The General Manager,  
**National Stock Exchange of India Ltd.**  
Exchange Plaza,  
Plot no. C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai - 400 051.  
NSE CODE: BODALCHEM

Dear Sir /Madam,

**SUB: IMPOSITION OF ANTI-DUMPING DUTY BY MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) ON IMPORTS OF TRICHLORO ISOCYANURIC ACID (“TCCA”) IN INDIA.**

We hereby want to inform you that the Ministry of Finance (Department of Revenue) has issued a notification, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i), dated 07<sup>th</sup> March 2025 (enclosed as Annexure - A), recommended imposing of anti-dumping duty on imports of Trichloro Isocyanuric Acid” (“TCCA”), falling under tariff items 2933 69 10 or 2933 69 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, originating in, or exported from China PR and Japan.

Further, we hereby also inform you that Bodal Chemicals Limited is producing TCCA at its Unit 11, located Neja, Khambhat. Furthermore, as of now, Bodal Chemicals Ltd is the only producer of TCCA products in india. This will help Bodal Chemicals Ltd to add Rs.50 to Rs.60 crores per annum in total turnover starting from financial year 2025 – 2026. This will also help to improve bottom line of the company.

The anti-dumping duty imposed by the Ministry of Finance shall be effective for a period of 5 years with effect from 07<sup>th</sup> March 2025 (unless revoked, amended or superseded earlier).

Kindly take the same in your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For, BODAL CHEMICALS LTD**

Ashutosh B Bhatt  
Company Secretary &  
Compliance Officer

Encl: a/a

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032025-261506  
CG-DL-E-07032025-261506

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2025/फाल्गुन 16, 1946

No. 131]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2025/ PHALGUNA 16, 1946

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2025

सं. 01/2025- सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 166(अ).—** जब कि चीन जनवादी गणराज्य और जापान (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरक एसिड' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वास्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 2933 69 10 या 2933 69 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 6/20/2023-डीजीटीआर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024, जिसे दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ निष्कर्ष दिया है कि—

- (i) विषयगत वस्तु भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;
- (ii) विषयगत वस्तु की डंपिंग के कारण भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (iii) आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य के स्तर से नीचे है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा—

### सारणी

क्रम.सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2933 69 90 2933 69 10*	ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरक एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शेडोंग गोल्डनस्टार वाटर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड	766	मीट्रिक टन	यूएसडी
2.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	पुयांग क्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड	773	मीट्रिक टन	यूएसडी
3.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शेडोंग डेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड	782	मीट्रिक टन	यूएसडी
4.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शेडोंग लैंटियन डिसिन्फेक्शन टेक्नॉलजी कं, लिमिटेड	907	मीट्रिक टन	यूएसडी
5.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित सभी देश	क्रम. सं. 1 से 4 में उल्लिखित के अलावा कोई भी	986	मीट्रिक टन	यूएसडी
6.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य और जापान के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	986	मीट्रिक टन	यूएसडी
7.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित सभी देश	कोई भी	276	मीट्रिक टन	यूएसडी

8.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य और जापान के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई भी	276	मीट्रिक टन	यूएसडी
----	-------	-------	--	-------	--------	-----	---------------	--------

\* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. सीवीआईसी-190354/109/2024-टीआरयू अनुभाग-सीवीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2025

**No. 01/2025-Customs (ADD)**

**G.S.R. 166(E).**—Whereas, in the matter of “Trichloro Isocyanuric Acid” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 2933 69 10 or 2933 69 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR and Japan (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 6/20/2023-DGTR, dated the 10<sup>th</sup> December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10<sup>th</sup> December, 2024, has, *inter alia*, come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports in India;
- (iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

S. No.	Tariff item	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2933 69 90 2933 69 10*	Trichloro Isocyanuric Acid	China PR	China PR	Shandong Goldenstar Water Environment Technology Co., Ltd	766	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	China PR	Puyang Cleanway Chemicals Limited	773	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	China PR	Shandong Daming Science And Technology Co.,Ltd	782	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	China PR	Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd	907	MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	All countries, including China PR	Any other than those mentioned in S. No. 1 To 4	986	MT	USD
6.	-do-	-do-	All countries other than China PR and Japan	China PR	Any	986	MT	USD
7.	-do-	-do-	Japan	All countries including Japan	Any	276	MT	USD
8.	-do-	-do-	All countries other than China PR and Japan	Japan	Any	276	MT	USD

\* The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.-** For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/109/2024-TRU Section-CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.